/ 212

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-10/2006/1/8 भोपाल,दिनांक 11-4-2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय.-- विधि की वैधता, संवैधानिकता एवं अधिकारिता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में प्रतिरक्षण।

महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश द्वारा शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि किसी विधि की वैधता, संवैधानिकता एवं अधिकारिता को माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में शासन के विभिन्न प्रत्यर्थियो की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रकरण में अलग-अलग आधार पर प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शासन उक्त रिट याचिकाओं में सक्षमता से बचाव नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिकाओं में विधि को अवैध, असंवैधानिक एवं अधिकार बाह्य घोषित कर दिया जाता है।

2/ अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में विधि की वैधता, संवैधानिकता एवं अधिकारिता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में मध्यप्रदेश शासन के उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को ही प्रभावी पक्ष समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए। यदि ऐसी रिट याचिका में एक से अधिक विभागों को प्रत्यर्थी बनाया जाता है तब ऐसी स्थिति में नियुक्त प्रभारी अधिकारी सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करें। प्रत्यावर्तन का पूर्व अनुमोदन उस प्रत्यर्थी विभाग प्रमुख से लिया जाना आवश्यक है जिसकी ओर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

..............2

3/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(एस.डी.अग्रवाल) 11-5-08
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 5–10/2006/1/8 भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपिः–

1/ रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2/ सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल
3/ सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4/ महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल
5/ राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7 प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
8/ मंत्री/ राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र. भोपाल
9/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10/ सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11/ अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
12/ महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर
13/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ उप सचिव सा.प्र.वि. मंत्रालय,भोपाल
15/ उपसचिव/ अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी मध्यप्रदेश मंत्रालय,भोपाल।
16/ सचिव,मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
17/ आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
18/ अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19/ अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एस.सी.पाराशर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग